# NERP, 2016

## राष्ट्रीय निर्वाचक नामावली का शुद्धिकरण अभियान, *2016*

## महत्वपूर्ण गतिविधियों से संबंधित भारत निर्वाचन आयोग के निदेशों की सार विवरणी

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), बिहार, पटना–800015

# एन.ई.आर.पी. के मुख्य उद्देश्य

## (क) निर्वाचक नामावली के सुधार के संबंध में की जाने वाली कार्रवाई :

- ✓ अर्हता प्राप्त सभी व्यक्तियों का नाम निर्वाचक सूची में शामिल करना।
- ✓ निर्वाचक सूची को त्रुटिरहित बनाना।
- ✓ सभी निर्वाचकों के नाम नियमानुसार साधारणतः निवास वाले स्थान पर दर्ज होना।
- ✓ दोहरी प्रविष्टि वाले निर्वाचकों का नाम निर्वाचक सूची से विलोपित करना।
- ✓ विस्थापित एवं साधारणतः निवास की अर्हता नहीं रखने वाले निर्वाचकों का नाम निर्वाचक सूची से हटाना।
- ✓ मृत निर्वाचकों का नाम निर्वाचक सूची से विलोपित करना।
- ✓ प्रत्येक निर्वाचक को एक ही ईपिक नम्बर आवंटित किया जाना।
- ✓ अच्छी गुणवत्ता का छायाचित्र भारत निर्वाचन आयोग के मापदंडों के अनुसार संधारित किया जाना।
- ✓ ईपिक की त्रुटियों में संशोधन।
- ✓ जिन निर्वाचकों के छायाचित्र नहीं हैं, उसे एकत्रित करना एवं अच्छी गुणवत्ता वाली छायाचित्रों से प्रतिस्थापित किया जाना।
- ✓ मिसमैच फोटोग्राफ की त्रुटियों को दूर करना।
- ✓ निर्वाचक सूची में दोहरी प्रविष्टि, मृत, स्थानान्तरित निर्वाचकों की प्रविष्टियों के विलोपन हेतु स्वैच्छिक घोषणा (Voluntary Disclosure) किये जाने के लिए निर्वाचकों को प्रेरित करना।

## (ख) मतदान केन्द्र से संबंधित की जाने वाली कार्रवाई :

- ✓ आवश्यकतानुसार मतदान केन्द्र की सीमाओं का युक्तिकरण।
- ✓ विद्यमान मतदान केन्द्रों के भाग क्षेत्रों की सीमाओं को गूगल मैप के सहयोग से डिजिटाइज किया जाना।
- ✓ जहां आवश्यक हो, नये मतदान केन्द्रों का सृजन एवं विद्यमान मतदान केन्द्रों का एकीकरण।
- ✓ भाग क्षेत्र अन्तर्गत प्रभाग का युक्तिकरण एवं मानकीकरण तथा प्रभाग एवं भाग सीमा का जी.आई.एस. मैपिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाना।
- ✓ विद्यमान मतदान केन्द्र स्थलों पर न्यूनतम बुनियादी सुविधा का आकलन एवं आयोग के मापदंडों के अनुरूप आवश्यक सुविधा बहाल करना तथा BMF Module में इसकी प्रविष्टि सुनिश्चित करना।
- ✓ वैकल्पिक मतदान स्थल (Polling Location) का चयन एवं उक्त मतदान स्थल पर विद्यमान न्यूनतम बुनियादी सुविधा (Basic Minimum Facility) की मैपिंग।
- ✓ यह सुनिश्चित करना कि मतदान केन्द्र तक पहुंचने के लिए मतदाताओं को लंबी दूरी (2 कि.मी. से अधिक) तय न करनी पड़े या किसी भौगोलिक बाधा यथा नदी, नाला, छोटी नदी, घने जंगल इत्यादि पार नहीं करना पड़ें।

- ✓ प्रत्येक मतदान केन्द्र का उचित आयामों और मॉडल ले आउट सहित, बी.एम.एफ. की सूचना, मतदान केन्द्र की वास्तविक फोटो, गूगल–मानचित्र और सड़क का दृश्य और वहां कैसे पहुंचे, पर मुख्य नक्शा सहित सी.ए.डी. (कम्प्यूटर के सहयोग से निर्मित डिजाइन) का प्रयोग करते हुए, सुस्पष्ट मतदान केन्द्र मानचित्र के रूप में रफ स्केच मैप बनाना।
- ✓ एक ही परिवार समूह के निर्वाचकों को एक ही प्रभाग एवं मतदान केन्द्र से संबद्ध करना।

## अन्य गतिविधियां

- ✓ निर्वाचक जनसंख्या अनुपात और लिंग अनुपात की कमियों को दूर करने और साथ ही 18–19 वर्ष के आयु समूह में नामांकन को बढ़ाना।
- ✓ ईपिक/फोटो निर्वाचक नामावली की 100% कवरेज सुनिश्चित करना।
- ✓ यदि आवश्यक हो तो धुंधली, खराब गुणवत्ता, पुनरावृत, फोटो तथा गैर–मानव छवियों को बदलकर अच्छी गुणवत्ता वाली छायाचित्र संधारित किया जाना।
- ✓ निर्वाचक नामावलियों में विभिन्न प्रकार की अशुद्धियों/त्रुटियों का पहचान करना और सॉफ्टवयेर का प्रयोग करके उनमें सुधार करना और उसके पश्चात् निर्वाचक डाटा–बेस में आवश्यक संशोधन करना।
- ✓ लाभप्रद रूप से आई.टी. एप्लीकेशनों का प्रयोग करके निर्वाचक नामावली से किसी भी मृत/स्थानांतरित/दोहरी प्रविष्टियों को हटाना।
- ✓ निर्वाचकों और उनके परिवार के सदस्यों के मोबाइल संख्या एवं ई–मेल आई.डी. इकट्ठे करना (प्रकट करने का विकल्प निर्वाचक के पास रहेगा। यदि प्रकट किया जाता है तो उसे निर्वाचन संबंधी बहुत सी सुविधाएं मिलेंगी। किसी भी स्थिति में यह डाटा जन–साधारण की जानकारी हेतु नहीं डाला जाएगा और न ही किसी व्यक्ति या प्राधिकरण से उसे साझा किया जाएगा)।
- ✓ निर्वाचक सूची के डाटा–बेस के कंट्रोल टेबल का अद्यतीकरण।
- ✓ जिला स्तर एवं निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी स्तर पर लिंगानुपात/निर्वाचक–जनसंख्या अनुपात/उम्र संबंधी जनगणना (Census) के मानको के आधार पर समीक्षा करना एवं इसके अन्तर को समाप्त करने की कार्रवाई किया जाना।
- ✓ जिला अन्तर्गत बी.एल.ओ., बी.ए.जी. तथा अन्य क्षेत्रीय पदाधिकारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था ससमय सुनिश्चित करना।

## निर्वाचक नामावली से संबंधित त्रुटियाँ, जिन्हें शुद्ध किया जाना है :

- ✓ निर्वाचक डाटा–बेस में सॉफ्टवेयर के माध्यम से 17 प्रकार के त्रुटियों में से संभावित त्रुटि को चिन्हित करते हुए इसके सुधार के लिए आवश्यक कार्रवाई की जानी है। 17 तरह की त्रुटियों के पहचान के बिन्दु निम्न प्रकार है :–

(क) मतदाता का पहला/आखिरी नाम निरर्थक/जंक कैरेक्टर है।

(ख) पार्ट संख्या निरर्थक/जंक कैरेक्टर है।

(ग) मतदाता की क्रम संख्या निरर्थक/जंक कैरेक्टर है।

(घ) सेक्शन नंबर शून्य/जंक कैरेक्टर है।

(ड़) मकान सं0 शून्य/जंक कैरेक्टर है।

(च) मतदाता संबंध # M, F, H, O या m, f, h, o /जंक कैरेक्टर है।

(छ) मतदाता का लिंग M, F, T, G, (तृतीय लिंग)/जंक कैरेक्टर है।

(ज) मतदाता का लिंग पुरूष है परन्तु संबंध H/जंक कैरेक्टर है।

(झ) मतदाता के रिश्तेदारों के नाम रिक्त/जंक कैरेक्टर है।

(ञ) मतदाता फोटो पहचान पत्र सं0 10 से कम है/जंक कैरेक्टर है।

(ट) आयु 18 वर्ष से कम है या 100 से अधिक है/जंक कैरेक्टर है।

(ठ) फोटोग्राफ मौजूद है परन्तु पहचान पत्र सं0 उपलब्ध नहीं है।

(ड) पहचान पत्र सं0 मौजूद है परन्तु फोटोग्राफ उपलब्ध नहीं है।

(ढ़) ऐसे निर्वाचक, जिनमें मतदाता फोटो पहचान संख्या दोहराई गई है।

(ण) मतदाता महिला हैं, परन्तु संबंध 30 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता के लिए पिता के रूप में (F/O) है।

(त) मतदाता स्थिति प्रकार # N, E, S, M, या n, e, s, m, r/जंक कैरेक्टर।

(थ) कोई मतदाता नहीं, वाले सेक्शनों की संख्या।

## कार्य–प्रणाली (Methodology)

- ✓ जिला स्तर/विधान सभा स्तर पर निर्वाचक जनसंख्या अनुपात (EP Ratio), लिंगानुपात (Gender Ratio), आयु (Age-Cohort) का विश्लेषण कर पाये गये अन्तर के लिए लक्ष्य निर्धारित कर अपेक्षित कार्रवाई करना।
- ✓ मतदान केन्द्र स्तर पर जनसंख्या अनुपात (EP Ratio), लिंगानुपात (Gender Ratio), आयु (Age-Cohort) का विश्लेषण करना एवं पाये गये अन्तर के लिए लक्ष्य निर्धारित कर अपेक्षित कार्रवाई करना।
- ✓ प्रभावशाली ढ़ंग से स्वीप गतिविधियों का क्रियान्वयन।
- ✓ मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारी द्वारा घरों का सर्वेक्षण कर निर्वाचकों के मोबाइल संख्या एवं ई–मेल आई.डी. प्राप्त करना एवं ए.एस.डी. (Absentee, Shifted, Dead) निर्वाचकों की पहचान करना।
- ✓ सॉफ्टवेयर के माध्यम से दोहरी प्रविष्टि (Duplicate) वाले निर्वाचकों की पहचान के आधार पर सत्यापन कर नियमानुसार कार्रवाई करना।

- ✓ रजिस्ट्रीकृत मृत्यु पंजी के आधार पर मृत पाये गये निर्वाचकों के नामों के विलोपन हेतु आवश्यक कार्रवाई किया जाना।
- ✓ राजनीतिक दलों के साथ बैठक आहूत कर महत्वपूर्ण सूचनाओं का आदान–प्रदान करना एवं राजनीतिक दलों से सहयोग प्राप्त करना।

## एन.ई.आर.पी. से संबंधित मतदाता जागरूकता अभियान (SVEEP) से संबंधित गतिविधियां

- ✓ जिला स्तर एवं विधान सभा स्तर पर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ बैठक आहूत कर एन.ई.आर.पी. कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से संबंधित मुख्य बिन्दुओं से अवगत करना एवं उनका सहयोग प्राप्त करना।
- ✓ राजनीतिक दलों से प्रत्येक मतदान केन्द्र पर बी.एल.ए. की नियुक्ति हेतु अनुरोध करना।
- ✓ बी.एल.ओ. एवं बी.एल.ए. के बीच आवश्यक समन्वय हेतु बैठक आहूत करना एवं एन.ई.आर.पी. कार्यक्रम के उद्देश्यों एवं गतिविधियों से अवगत करना।
- ✓ एन.ई.आर.पी. के प्रचार–प्रसार हेतु मीडिया की सहभागिता सुनिश्चित करना।
- ✓ एन.ई.आर.पी. कार्यक्रमों के प्रचार–प्रसार हेतु अन्य विभागों, सिविल सोसाएटी, एन.जी.ओ. एवं अन्य ईकाईयों का सहयोग प्राप्त करना।
- ✓ निर्वाचकों के बीच प्रचार–प्रसार कर उन्हें निर्वाचक सूची में दोहरी प्रविष्टि, मृत, स्थानांतरित निर्वाचकों की जानकारी देने हेतु स्वैच्छिक घोषणा (Voluntary Disclosure) के लिये प्रेरित करना।

## एन.ई.आर.पी. Dashboard का अनुश्रवण

- ✓ **ecinet.in** के अन्तर्गत **ERO/DEO** नेट के माध्यम से गतिविधियों का अनुश्रवण एवं आवश्यक प्रतिवेदनों का अद्यतीकरण सुनिश्चित करना।
- ✓ जिला निर्वाचन पदाधिकारी/निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी अपने नियत लॉग–इन एवं पासवर्ड के माध्यम से एन.ई.आर.पी., 2016 की गतिविधियों एवं की गयी कार्रवाईयों का अनुश्रवण कर सकते है।
- ✓ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/भारत निर्वाचन आयोग के माध्यम से एन.ई.आर.पी. कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का सतत् अनुश्रवण उक्त **Dashboard** के माध्यम से ही किया जाना है।